अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
08/03/2021	**आदेश** सेटलमेन्ट अपील –32/2012 अब्दुल अंसारी एवं उनके तीन भाई मकबूल अंसारी, मकसूर अंसारी एवं महमूद अंसारी द्वारा नईम अंसारी व अन्य तथा राज्य के विरूद्ध दायर किया गया था। जिसमें ग्राम–पोखरगढ़हा, अंचल–कांके के खेसरा न0 1738/953 सभी खाता नं० 68 के भूमि के कागजातों में आवश्यक इन्द्राज करने हेतु अनुरोध किये गये है। आवेदकों का दावा है कि उनके भूमिहीन होने के कारण बन्दोबस्ती वाद संख्या 5/78–79 के द्वारा 2 एकड़ भूमि उनके साथ बन्दोबस्ती की गई थी। वर्त्तमान सर्वे के दौरान नये प्लॉट संख्या 1738 रक्वा 1.40 एकड़ सेख अजीमुद्दीन (विपक्षी) के नाम से तस्दीक किया गया जिसपर आवेदकों के तरफ से धारा 82 के अंतर्गत अपत्ति दर्ज की गई। विपक्षी के तरफ से धारा 89 के अंतर्गत पुनरीक्षण वाद 33/87 दायर किया गया। जिससे बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा 30.06.1992 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय में सर्वे अपील 138/92 दायर किया गया जिसमें आयुक्त द्वारा इस वाद को पुनः बन्दोबस्त पदाधिकारी के न्यायालय में पुनप्रेषित किया गया। बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उक्त वाद एवं एक अन्य वाद के साथ मिला दिया गया जिस कारण पक्षकारों के नाम भी गलत अंकित किये गये। विपक्षी नये प्लॉट नं 1738, खाता नं 84 के अंतर्गत 1.40 एकड़ भूमि पर दावा कर रहे है जो सादाहुकमनामा पर आधारित है प्रश्नगत प्लॉट 953 में कुल 5.14 एकड़ भूमि है जो गैरमजरूआ मालिक खाते की है। विपक्षी के नाम से 5.56 एकड़ बण्डा पर्चा तैयार किया गया इस प्रकार विपक्षी गलत तरीके से प्रश्नगत भूमि के कागजात में अपना नाम इन्द्राज करना चाहते है। विपक्षी के तरफ से कहा कि वे प्लॉट नं 953, खाता नं 68 में 5.14 एकड़ के दखलकार है। यह भूमि उन्हें 1937 में हुकमनामा से प्राप्त है। जिसमे वे लगान भी दे रहे है। सर्वे तसदीक के दौरान उनका दखल पाया गया जिसके पश्चात उनके नाम से प्राथमिक पर्चा तैयार किया गया। पूर्व में धारा 83 एवं 89 के अंतर्गत कार्रवाई के पश्चात् आयुक्त के न्यायालय में अपील संख्या 138/92 दायर किया	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	गया। जिसमें आयुक्त द्वारा पुनप्रेषित करते हुए निदेशित किया गया जिसमे स्थानीय जाचं करते हुए प्लॉट नं 953 की कुल भूमि का रकबा एवं दोनों पक्ष के दखल समीक्षा कर निर्णय लेने हेतु निदेशित किया गया था। आवेदकों के तरफ से प्रत्येक वाद उक्त भूमि के संबंध में नये दावे किये जाते रहे है। अपील संख्या 99/2007 में यह भूमि 1949 में हुकमनामा से प्राप्त होने का दावा किया गया था जबकि पूर्व में 1947 के हुकमनामा का उल्लेख किया गया था। इस न्यायालय में अंचल कार्यालय के द्वारा बन्दोबस्ती का उल्लेख किया जा रहा है। इस प्रकार आवेदक विभिन्न न्यायालयों में अलग–अलग दावा करते रहे है। सुनवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा अपने दावे के समर्थन में कागजता प्रस्तुत किये गये। उभय पक्षों की सुनवाई एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ मालिक श्रेणी की है। आयुक्त न्यायालय द्वारा वाद को पुनप्रेषित किये जाने के पश्चात् बन्दोबस्त पदाधिकारी रांची द्वारा उभय पक्षों की उपस्थिति में स्वयं भूमि की जांच की गई है। उभय पक्षों के दावे बन्दोबस्ती के आधार पर है। गैरमजरूआ मालिक श्रेणी की भूमि के संबंध में जमीनदारी द्वारा उन्नमूलन के पश्चात जमीनदार दायर रिटर्न में उभय पक्षकारों के नाम नही है। पक्षकारों के तरफ से Form M भी जमा नही कराया गया है। आवदेक अंचल कार्यालय से 2 एकड़ भूमि बन्दोबस्त होने का दावा कर रहे है। तथा अपने आप को भूमिहीन होने का दावा कर रहे है। जबकि श्रीमती कमला कुमारी प्रभारी पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के नाम से खाता नं 68 में कई प्लॉट का इद्रांज है। आवेदक के तरफ से इस न्यायालय में उक्त कथित बन्दोबस्ती का कोई पर्चा आदि भी प्रस्तुत नही किया गया है। यह भी विचारणीय है कि भूमिहीन व्यक्तियों से 2 एकड़ भूमि बन्दोबस्त करने का प्रावधान राज्य सरकार में कभी भी नही रहे है। स्थानीय स्थल जांच के दौरान बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि को परती टांड़ के रूप में पाया गया। उभय पक्षों के पास अपना अधिकार साबित करने के लिए कोई ठोस कागजात अथवा अन्य साक्ष्य उपलब्ध नही है। जमीनदारी उन्नमूलन के पश्चात गैरमजरूआ श्रेणी की भूमि राज्य सरकार में सन्निहित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्ष पोखराढहा ग्राम के कई जमीनों का	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	दखल किये हो तथा विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर कर पक्ष विपक्ष में साक्ष्य तैयार किये जा रहे है। वर्णित परिस्थिति में इस अपील आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नही है अतः इसे खारिजं किया जाता है। अंचल अधिकारी कांके को निदेशित जाता है कि उक्त मौजा के सम्पूर्ण भूमि का निरीक्षण कर सरकारी भूमि को चिन्हित करे तथा सरकारी भूमि पर विभिन्न निजी पक्षकारों के दावे/विवाद अथवा अवैध कब्जा नही है यह भी सुनिश्चित करें। लेखापित एवं संशोधित। N Kulkarni 8/2/2024 आयुक्त। N Kulkarni 8/2/2024 आयुक्त।	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.24 11:51:06 +05:30
Location: 192.168.1.40